प्रकरण संख्या 02/2024 श्रीमती धनकुंवर बनाम रवि जैन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.11.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नवापादर, तहसील गढ़ी में प्रार्थीया के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 270 रकबा 0.20 हैक्टर, 266 रकबा 0.08 हैक्टर एवं 267 रकबा 0.04 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 0.32 हैक्टर भूमि स्थित है, जिस पर वर्षो से मेन रोड़ से आदिनाथ कॉलोनी के रास्ते आना जाना होता है इसके अलावा अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीया की भूमि के आगे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की आराजी नंबर 287 से 290, 291/1919 स्थित है, जिस रास्ते से होकर प्रार्थीया अपने खेतों में आती जाती है, लेकिन राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने से अप्रार्भ संख्या 1 व 2 द्वारा रास्ता अवरूद्ध कर बन्द कर दिया गया है। अतः प्रार्थीया को अप्रार्थीगण की उक्त आराजियात में से रास्ता दिलाया जाकर राजस्व रेकार्ड में रास्ता अंकित किया जावे। विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र भट्ट ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन किया तथा तहसीलदार गढ़ी द्वारा मौके की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार गढ़ी की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 18.04.2023 को निर्णय पारित करते हुए अवरूद्ध रास्ते को खुलवाये जाने का आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 12.03.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, किन्तु रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार भट्ट उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलान्टगण को नहीं थी। दिनांक 07.08.2023 को नकल प्राप्त करने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:26:35 IST
Reason: SelfAttested

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों का सही विवेचन नहीं किया है तथा अपीलान्ट की कितनी भूमि रास्ते में जा रही है तथा उसकी डी.एल.सी. दर कितनी है, इस बाबत् कोई विवेचन नहीं किया है तथा कानून की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.04.2024 अपास्त किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है उसके साथ किसी प्रकार का नक्शा संलग्न नहीं है, जिससे मौके पर रास्ते की क्या स्थिति है, स्पष्ट नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने उक्त निर्णय में इस बाबत् कोई अंकन नहीं किया है। रास्ते में अपीलान्टगण के खाते की आराजियात का कितना रकबा गया है तथा उस रकबे की डी.एल. सी. दर कितनी है, इसका कोई उल्लेख अपने निर्णय में नहीं किया है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 08/2022 में पारित निर्णय दिनांक 18.04.2023 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में मौके की स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त कर तथा दोनों पक्षों को सुनकर साक्ष्यों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.01.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:26:35 IST
Reason: SelfAttested